

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।  
अपर निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पटना।  
सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,  
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

पटना, दिनांक 08-03-2019

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या-20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0001-यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड- 20-2210012000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹1,12,66,172/- (एक करोड़ बारह लाख छियासठ हजार एक सौ बहत्तर रु.) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड में विभागीय आवंटनादेश संख्या-11(7)ब दिनांक-12.6.18, 43(7)ब दिनांक-03.10.18, 54(7)ब दिनांक-12.10.18, 71(7)ब दिनांक-28.12.18 एवं 91(7)ब दिनांक-14.02.19 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों के लिए कुल ₹1,12,66,172/- (एक करोड़ बारह लाख छियासठ हजार एक सौ बहत्तर रु.) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या-20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0001-यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड- 20-2210012000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. सामग्री एवं पूर्तियों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सिविल सर्जन होंगे तथा शेष इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपर निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पटना/दरभंगा/ संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना एवं संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबावदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं।




2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

7. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।
9. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक- 15.03.2001, 241(9) दिनांक-21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।
10. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।
11. संबंधित सिविल सर्जन एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।
12. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,



( राधेश्याम साह )


सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 108 (7)A

पटना, दिनांक : 08-03-19

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित सिविल सर्जन/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी-7 /आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव



## विवरणी-I

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में बिहार स्थित यक्ष्मा उपशीर्ष का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	कार्यालय व्यय	विधि प्रभार	वर्दी/पोषाक	सामग्री एवं पूर्तियों	कुल	अभ्युक्ति
		(01-01)	(01-03)	(01-04)	(01-05)	(01-06)	(01-07)		(06-01)	(13-01)	(13-05)	(13-06)	(21-01)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	अपर निदेशक(यक्ष्मा) का कार्यालय, बिहार, पटना	50000	7000	7500	3900	1000	30600	100000	0	0	0	0	0	100000	131/9.2.19
2	अपर निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पटना	0	0	0	0	0	0	0	30072	0	0	0	0	30072	137/11.2.19
3	अपर मुख्य चि0पदा0, बक्सर	900000	112500	135000	0	27000	45000	1219500	0	8000	0	32500	0	1260000	31/12.2.19
4	अपर मुख्य चि0पदा0, पूर्णिया	190000	34200	28500	0	5700	9500	267900	0	0	0	0	0	267900	64/21.2.19
5	अपर मुख्य चि0पदा0, भागलपुर	730000	102200	109500	0	21800	36500	1000000	0	50000	0	0	50000	1100000	86/18.2.19
6	अपर मुख्य चि0पदा0, कटिहार	240000	40800	36000	0	7200	12000	336000	0	0	10200	0	45000	391200	35/20.2.19
7	अपर मुख्य चि0पदा0, मुंगेर	210000	33600	39900	0	6000	10500	300000	0	10000	0	20000	5000	335000	71/7.2.19
8	अपर मुख्य चि0पदा0, बेतिया	3800000	532000	615000	0	114000	190000	5251000	0	0	0	0	0	5251000	38/28.1.19
9	अपर मुख्य चि0पदा0, मुजफ्फरपुर	1800000	252000	270000	0	54000	90000	2466000	0	15000	0	0	50000	2531000	101/26.2.19
	कुल	7920000	1114300	1241400	3900	236700	424100	10940400	30072	83000	10200	52500	150000	11266172	

( एक करोड़ बारह लाख छियासठ हजार एक सौ बहत्तर) रु. मात्र




सरकार के विशेष सचिव

108(7) अ  
08-03-19

**उपबंध की स्थिति**

क्रम	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0001-01-01)	485346000	434230000	7920000	442150000	43196000
2	जीवन यापन भत्ता (0001-01-03)	72442000	60792200	1114300	61906500	10535500
3	मकान किराया भत्ता (0001-01-04)	77271000	65158500	1241400	66399900	10871100
4	परिवहन भत्ता (0001-01-05)	5119000	4300000	3900	4303900	815100
5	चिकित्सा भत्ता (0001-01-06)	12924000	12143500	236700	12380200	543800
6	अन्य भत्ता (0001-01-07)	24147000	21685100	424100	22109200	2037800
	<b>योग 20-2210.01.200.0001.01 वेतन</b>	<b>677249000</b>	<b>598309300</b>	<b>10940400</b>	<b>609249700</b>	<b>67999300</b>
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001-06-01)	1000000	969928	30072	1000000	0
8	यात्रा व्यय (0001-11-01)	250000	145000	0	145000	105000
9	कार्यालय व्यय (0001-13-01)	400000	313000	83000	396000	4000
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0001-13-02)	300000	152500	0	152500	147500
11	दुरभाष (0001-13-03)	200000	131000	0	131000	69000
12	विद्युत प्रभार (0001-13-04)	5000000	5000000	0	5000000	0
13	विधि प्रभार (0001-13-05)	300000	180000	10200	190200	109800
14	वर्दी / पोषाक (0001-13-06)	200000	147500	52500	200000	0
15	किराया महसूल एवं कर (0001-14-01)	200000	200000	0	200000	0
15	प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03)	3000000	0	0	0	3000000
16	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0001-21-01)	400000	173000	150000	323000	77000
17	दवा भंडार (0001-21-02)	600000	0	0	0	600000
18	आहार / पथ्य (0001-21-03)	600000	600000	0	600000	0
19	लघु कार्य (0001-27-01)	1000	0	0	0	1000
20	संवित्ता सेवाएं (0001-28-02)	500000	450000	0	450000	50000
19	मशीनें एवं उपकरण (0001-52-01)	600000	0	0	0	600000
	<b>कुल योग:-</b>	<b>690800000</b>	<b>606771228</b>	<b>11266172</b>	<b>618037400</b>	<b>72762600</b>

108 (7) 9  
08-03-19

  
 सरकार के विशेष सचिव